कार्यालयःवन प्रमण्डल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमण्डल, समस्तीपुर

भूईधारा, पो० धुरलख, नेशनल पब्लिक स्कुल के निकट, गंगापुर रोड, समस्तीपुर,
पिन–848101 दूरभाष संख्या 06274 225575 (Email : dfosamastipur@gmail.com)

पत्रांक– 178 समस्तीपुर, दिनांक– 16.02.2017

प्रेषक,

श्री सुनील कुमार, भा०व०से०,
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर।

सेवा में

वन संरक्षक,
मुजफ्फरपुर अंचल,
मुजफ्फरपुर।

विषय :– मौजा– केवटा, थाना– दलसिंहसराय में BPCL का रिटेल आउटलेट खोलने के लिए पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंगः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना का पत्रांक– (व०सं०) FC- दिनांक– .2017.

महाशय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा श्री राकेश कुमार पासवान, श्री रामप्रीत पासवान, ग्राम– केवटा, थाना– दलसिंहसराय, जिला– समस्तीपुर द्वारा मौजा– केवटा, थाना– दलसिंहसराय, जिला– समस्तीपुर में BPCL का रिटेल आउटलेट खोलने हेतु पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत समर्पित प्रस्ताव आठ प्रतियों में प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रस्ताव की स्थलीय जॉच वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, दलसिंहसराय से करवाई गयी। प्रस्ताव के भाग – II में अपनी टिप्पणी अंकित कर भेजते हुए कहना है कि प्रस्ताव की स्वीकृति निम्नलिखित शर्त्तों के साथ की जा सकती है। प्रस्ताव से संबंधित मुख्य बिन्दु निम्नवत् है –

1. प्रस्तावित स्थल दलसिंहसराय–विद्यापतिनगर पथ पर अवस्थित है। यह पथ बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या– 189/E190E दिनांक 16.02.1994 द्वारा सुरक्षित वन घोषित है।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट प्रयोक्ता श्री राकेश कुमार पासवान, श्री रामप्रीत पासवान, ग्राम– केवटा, दलसिंहसराय की किराये की जमीन खाता संख्या– 522, खेसरा संख्या– 2753, 2754 ग्राम– केवटा, थाना– दलसिंहसराय, जिला– समस्तीपुर में खोला जाना प्रस्तावित है।

3. स्थल पर वास्तविक मापी के अनुसार 15.0 वर्गमीटर यानि 0.0015 हे० पथ तट की भूमि का अपयोजन होगा जिसके लिए प्रयोक्ता से निर्धारित दर पर एन०पी०भी० की राशि वसूलनीय होगी।
4. प्रस्तावित स्थल पर कोई वृक्ष मौजूद नहीं है लेकिन पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से 50 पौधों के क्षतिपूरक वनीकरण का प्रस्ताव दिया गया है जो इसी पथ तट में रिटेल आउटलेट के दोनों तरफ प्रयोक्ता के खर्च पर लगाया जाएगा। इसके लिए कुल 4.03 लाख की योजना संलग्न की गयी है।
5. संलग्न नक्शा पर हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है। स्थल निरीक्षण टिप्पणी अलग से संलग्न है।
6. भारत सरकार के पत्र संख्या 11–29/2004 दिनांक 15.07.2004 के द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुरूप प्रयोक्ता को प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1–1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा।
7. प्रयोक्ता को रिटेल आउटलेट में सभी अन्य सुविधायें जैसे– पार्किंग, टॉयलेट, रेस्टुरेन्ट, रेस्टरूम इत्यादि विकसित करना होगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की स्थिति में अपयोजन की सवीकृति देने पर विचार किया जा सकता है।

अनु०– प्रस्ताव सात प्रति (मूल रूप में)

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
समस्तीपुर वन प्रमण्डल, समस्तीपुर।